


| | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------|----------|--------|-------------|
| ३० | धोबी काम उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ३१ | चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग | ३,०१८.६० | ३,०१८.६० | ३,०१८.६० | -- | प्रती महिना |
| ३२ | तेल गिरणी उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | -- | प्रती महिना |
| ३३ | कागद व कागदी पुढे बनविणारा उद्योग | २,८११.७५ | २,८११.७५ | २,८११.७५ | -- | प्रती महिना |
| ३४ | प्लास्टिक उद्योग | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | -- | प्रती महिना |
| ३५ | पेन्ट व वॉर्निश बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ३६ | पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | -- | प्रती महिना |
| ३७ | यंत्रमाग उद्योग | १,२१८.०० | १,२१८.०० | १,२१८.०० | -- | प्रती महिना |
| ३८ | मुद्रण उद्योग | ३,२४७.२० | ३,२४७.२० | ३,२४७.२० | -- | प्रती महिना |
| ३९ | सार्वजनिक मोटर वाहतुक उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | -- | प्रती महिना |
| ४० | तयार कपडे बनविणे उद्योग | २,२०४.०० | २,२०४.०० | २,२०४.०० | -- | प्रती महिना |
| ४१ | रबर उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ४२ | भात, पिठ व डाळ गिरणीतील उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | -- | प्रती महिना |
| ४३ | रबरी फुगे बनविणारा उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | प्रती महिना |
| ४४ | पोलादी सामान बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ४५ | सिप्डा उद्योग | ३,१३२.९० | -- | -- | -- | प्रती महिना |
| ४६ | दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग | ३,२६०.२५ | ३,२६०.२५ | -- | -- | प्रती महिना |
| ४७ | सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ४८ | दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग | २,६४०.६० | २,६४०.६० | २,६४०.६० | -- | प्रती महिना |
| ४९ | सफाईगार व मेहतर कामधंदा | ३,०३९.७५ | ३,०३९.७५ | ३,०३९.७५ | -- | प्रती महिना |
| ५० | लाकुड कटाई उद्योग | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | -- | प्रती महिना |
| ५१ | कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तु तयार करणे | ८६४.०० | ८६४.०० | ८६४.०० | -- | प्रती महिना |
| ५२ | धातुची भांडी बनविणारा उद्योग | २,४३२.०० | २,४३२.०० | २,४३२.०० | -- | प्रती महिना |
| ५३ | लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ५४ | लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना |
| ५५ | घडयाळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | प्रती महिना |
| ५६ | हातमाग उद्योग | २,४६०.७५ | २,४६०.७५ | २,४६०.७५ | -- | प्रती महिना |
| ५७ | मातीची भांडी बनविणारा उद्योग | २,५४७.६० | २,५४७.६० | २,५४७.६० | -- | प्रती महिना |
| ५८ | वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार | २,६८९.५० | २,६८९.५० | -- | -- | प्रती महिना |
| | | अतिदुर्गम क्षेत्र | इतर क्षेत्र | -- | -- | |
| ५९ | चांदी उद्योग | ३,०७४.५० | ३,०७४.५० | -- | -- | प्रती महिना |
| ६० | तंबाखू (बिडी उद्योग) | ७४१.०० | ७४१.०० | -- | -- | प्रती महिना |
| ६१ | स्थानिक स्वराज्य संस्था, (अ) ग्रामपंचायत | १,९००.०० | १,९००.०० | १,९००.०० | -- | प्रती महिना |
| | (ब) ग्रामपंचायत वगळून | २,२४०.०० | २,२४०.०० | २,२४०.०० | -- | |
| ६२ | रंग व रसायने बनविणारा उद्योग | १,२८८.०० | १,२८८.०० | १,२८८.०० | -- | प्रती महिना |
| ६३ | विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा | २,१२७.०० | २,१२७.०० | -- | -- | प्रती महिना |
| ६४ | म्हशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दुध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात अशा कोणत्याही जागेतील कामधंदा (तबेला उद्योग) | ३,४८४.८० | ३,४८४.८० | ३,४८४.८० | -- | प्रती महिना |
| ६५ | मिठागरामधील कामधंदा | २,९३४.७५ | -- | -- | --- | प्रती महिना |
| ६६ | शेतकी कामधंदा | ९८९.७५ | ९८९.७५ | ९८९.७५ | ९८९.७५ | प्रती महिना |

विशेष भत्याचे दर परिमंडळनिहाय प्रत्येक अनुसूचित उद्योगाकरीता दर्शविण्यात आले आहेत.



(अ. खु. पेंडसे)

कामगार उप आयुक्त, (ग्रा.वि.)
व सक्षम प्राधिकारी,

किमान वेतन अधिनियम, १९४८, मुंबई

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय,
"कामगार भवन", ई - ब्लॉक, सी - २०,
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई - ४०० ०५१.
दिनांक- ६ ऑगस्ट, २०१५

क्र.ग्रा.वि./किवेअ/वि.म./२०१५-२/कार्या-१० किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता विशेष भत्त्याचे दर दिनांक ०१.०७.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०१५ या कालावधीकरिता जाहीर करित आहे.

| अ. क्र. | अनुसूचित उद्योगाचे नांव | परिमंडळ निहाय विशेष भत्त्याचे दर | | | | कालावधी | शेरा |
|---------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| | | परिमंडळ-१ | परिमंडळ-२ | परिमंडळ-३ | परिमंडळ-४ | | |
| | | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | | |
| १ | २ | ३ | | | | ४ | ५ |
| १ | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा | २,३५२.०० | २,३५२.०० | २,३५२.०० | -- | प्रती महिना | |
| २ | मोटर दुरुस्ती कार्यशाळा उद्योग | ३,२४२.४० | ३,२४२.४० | ३,२४२.४० | -- | प्रती महिना | |
| ३ | बेकरी उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | प्रती महिना | |
| ४ | कापूस दाबणे व पिंजणे उद्योग | ३,०३९.७५ | ३,०३९.७५ | ३,०३९.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ५ | कापड रंगविणे, छपाई उद्योग | ३,३२८.५० | ३,३२८.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ६ | काजू प्रक्रिया उद्योग | २,४८९.५० | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता | | | प्रती महिना | |
| ७ | कागदी, गवती पुढ्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग | २,७६७.०० | २,७६७.०० | २,७६७.०० | -- | प्रती महिना | |
| ८ | रासायनिक खते बनविणारा उद्योग | ३,०७४.५० | ३,०७४.५० | ३,०७४.५० | -- | प्रती महिना | |
| ९ | कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| १० | सिमेंट व सिमेंटवर आधारित उद्योग | ३,६८२.८० | ३,६८२.८० | ३,६८२.८० | -- | प्रती महिना | |
| ११ | रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग | २,६९८.०० | २,६९८.०० | २,६९८.०० | -- | प्रती महिना | |
| १२ | चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग | ३,१०७.१४ | ३,१०७.१४ | ३,१०७.१४ | ३,१०७.१४ | प्रती महिना | |
| १३ | सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | -- | -- | प्रती महिना | |
| १४ | दवाखाना उद्योग | २,२०४.०० | २,२०४.०० | २,२०४.०० | -- | प्रती महिना | |
| १५ | औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| १६ | दुग्धालय (डेअरी) उद्योग | ३,१८४.५० | ३,१८४.५० | ३,१८४.५० | -- | प्रती महिना | |
| १७ | लिखाणाच्या वह्या बनविणारा उद्योग | १,६७२.०० | १,६७२.०० | १,६७२.०० | -- | प्रती महिना | |
| १८ | खाण्याचा तंबाखू उद्योग | २,८५३.०० | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता | | | प्रती महिना | |
| १९ | अभियांत्रिकी उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २० | कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ पोट कलम (एम) या व्याखेतील कारखाने | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | २,९३४.७५ | -- | प्रती महिना | |
| २१ | शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग | ३,५७०.७५ | ३,५७०.७५ | ३,५७०.७५ | -- | प्रती महिना | |
| २२ | चित्रपट निर्मिती उद्योग | ३,३५४.०० | ३,३५४.०० | -- | -- | प्रती महिना | |
| २३ | काच बल्ब बनविणारा उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २४ | काच उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २५ | निवासी हॉटेल व उपाहारगृह उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २६ | केश कर्तनालय उद्योग | २,१२८.०० | २,१२८.०० | २,१२८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २७ | रुग्णालय उद्योग | २,८६०.६५ | २,८६०.६५ | २,८६०.६५ | -- | प्रती महिना | |
| २८ | बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग | २,४४०.८० | २,४४०.८० | -- | -- | प्रती महिना | |
| २९ | मद्य उद्योग | ३,२४७.२० | ३,२४७.२० | ३,२४७.२० | -- | प्रती महिना | |